राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक : F26(4)(333)ASSC/IEC/ICDS/13/ 116878-910 जयपुर दिनांक : 28-6-18

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त (राजस्थान)

विषयः– आंगनबाडी केन्द्रों पर आशा सहयोगिनियों के चयन के क्रम में।
प्रसंगः–चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्रांक 2866 दिनांक 20.06.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में लेख है कि दिनांक 13.06.2018 को श्रीमान मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित कलक्टर विडियों कॉन्फ्रेंस में आंगनबाडी केन्द्रों पर आशा सहयोगिनियों के चयन के संबंध में समस्त जिला कलक्टर को निम्नानुसार निर्देश दिये गये है। जिसकी प्रति आपको भी प्रेषित की गई है। आपको दिये गये निर्देशानुसार अपने अधिनस्थ समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देश प्रदान कर शीघ्र कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करावें :–

1. प्रत्येक माह जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में आशा सहयोगिनियों के चयन के संबंध में समीक्षा की जावें।
2. आशा चयन परिपत्र दिनांक 25.07.2017 के अनुसार प्रत्येक वर्ष के माह जनवरी, अप्रैल, जुलाई व सितम्बर, में आशा सहयोगिनियों के रिक्त पदों की विज्ञप्ति जारी करवाना।
3. आशा सहयोगिनी के चयन हेतु विज्ञप्ति जारी करने के 60 दिवस तक योग्य महिलाओं के आवेदन प्राप्त होने पर भी चयन प्रकिया पूर्ण नहीं होने के स्थिति में संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी को निर्देशित करें कि चयन संबंधी प्रकरण उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति के समक्ष रखते हुए आशा चयन प्रकिया पूर्ण की जावें।
4. जिन आशा सहयोगिनियों को आशा सॉफ्ट से डिएक्विट कर दिया है अथवा जो आशा सहयोगिनियां पिछले 6 माह अथवा अधिक समय से कार्य नहीं कर रही है, ऐसी आशाओं की जांच करवाते हुए दोषी पाये जाने पर संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से पत्र जारी करवाते हुये मानदेय सेवा से पृथक करने की कार्यवाही पूर्ण करावें।
5. जिन आशा सहयोगिनियों का माह मार्च, अप्रैल, मई व जून, 2018 में चयन किया गया है उनकी नामवार सूची मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को उपलब्ध करवावें। जिससे नवचयनित आशा सहयोगिनियों को आधारभूत प्रशिक्षण दिया जा सकें।

अतिरिक्त निदेशक (आई)
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : F26(4)(333)ASSC/IEC/ICDS/13/ 116911-914 जयपुर दिनांक : 28-6-18

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, निदेशक, आरसीएच, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान जयपुर
3. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं,
4. एसीपी (उप निदेशक), मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।

सहायक निदेशक (आईईसी)
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर